न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्याः— 99/2021

प्रार्थीः—

मालाराम पुत्र पुनमाराम जाति कलबी चौधरी निवासी समदडी तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1. जोगाराम पुत्र पुनमाराम जाति कलबी चौधरी निवासी समदडी जिला बालोतरा
2. मगाराम पुत्र पुनमाराम जाति कलबी चौधरी निवासी समदडी जिला बालोतरा
3. खुमानकरण पुत्र हेमकरण जाति राजपूत निवासी समदडी तहसील समदडी जिला बालोतरा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—

1.श्री पूनमचन्द रामदेव वकील प्रार्थी
2.श्री उम्मेदसिंह चम्पावत वकील विप्रार्थी संख्या 3
3 विप्रार्थी संख्या 1,2 व 4 एकपक्षीय

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 16·06·2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खरीदसुदा भूमि खसरा संख्या 776/334 रकबा 7.2843 हैक्टेयर मौजा समदडी तहसील समदडी में अवस्थित है विवादित भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा विप्रार्थी संख्या 3 से जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज खरीद की गई थी जिसका पुराना खसरा संख्या 334/5 था ,माफिक खरीद व कब्जा काश्त के अनुसार प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खरीद भूमि का हल्का पटवारी व भू.अ.निरीक्षक समदडी ने राजस्व दस्तावेज नक्शा ट्रेस में तरमीम कर दी प्रार्थी व विप्रार्थी वक्त खरीद से उक्त तरमीम के अनुसार मौके पर काबिज काश्त हैं। तहसील समदडी का सेग्रीगेशन के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना किसी सुनवाई /नोटिस के वक्त खरीद की तरमीम को हल्का [illegible] से गलत तरमीम कर दी गयी । प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खरीद के तरमीम अनुसार काबिज काश्त की भूमि पर हलकूप व बेरा खोदा हुआ है। प्रार्थी द्वारा राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई त्रुटिपूर्ण तरमीम को दुरूस्त किये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:36:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई विप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री उम्मेदसिंह चम्पावत ने जवाब प्रस्तुत किया।

तहसीलदार समदडी से मौका रिपोर्ट तलबी की। तहसीलदार समदडी ने जरिये पत्र कमांक–भू.अ./2024/1003 दिनांक 19.07.2024 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की।

दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस है कि विवादित भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा विप्रार्थी संख्या 3 से जरिये रजिस्र्टड दस्तावेज क्रय की गई। माफिक खरीद व कब्जा काश्त अनुसार तत्कालीन हल्का पटवारी व भू.अ.निरीक्षक द्वारा तरमीम की गई। प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त तरमीम अनुसार मौके पर काबिज काश्त भूमि पर नलकूप व बेरा खोदा हुआ है। सेग्रीगेशन के दौरान राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थी को बिना कोई नोटिस दिये उक्त तरमीम को निरस्त कर सहवन से त्रुटिपूर्ण तरमीम कर दी जिसे दुरूस्त किये जाने के अतियन्त आवश्यकता होने के कारण प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया उक्त तरमीम को दुरूस्त किया जावे।

विप्रार्थी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता की बहस है कि विवादित भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 3 की संयुक्त खातेदारी भूमि नहीं है,विप्रार्थी द्वारा कभी भी प्रार्थी को भूमि बेचान नहीं किया गया प्रार्थी द्वारा अल्प भूमि ही क्रय की गई थी,प्रार्थी ने राजस्व कर्मचारियों से मिलावट कर तत्कालीन समय में खरीद भूमि से अधिक भूमि का तरमीम कर दिया गया वर्तमान तरमीम राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी के कब्जा काश्त के अनुसार ही गई है लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना मय हर्जाना खारिज फरमाया जावे।

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की सुनी एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार समदडी के रिपोर्ट अनुसार विवादित भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि है , ऑनलाईन नक्शा परिशिष्ट A-1 व A मौके पर प्रार्थी के कब्जा अनुसार गलत है विवादित भूमि का विप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 को बेचान किया गया था, जिसका नामान्तरकरण संख्या [illegible] दिनांक 20.12.1988 द्वारा राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया गया यदि विवादित भूमि का प्रार्थी के कब्जा काश्त अनुसार माफिक परिशिष्ट डी तरमीम की जाती है तो विवादित भूमि के रकबे पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:36:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार समदडी के रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम समदडी तहसील समदडी की खसरा संख्या 776/335 की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार समदडी द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रेषित नक्शा परिशिष्ट "D" अनुसार दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित पत्रांक भू.अ./2024/1003 दिनांक 19.07.2024 के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 16·06·25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:36:48 IST
Reason: SelfAttested

नक्शा ट्रेस सन 2019 संवत 2076

ग्राम - समदड़ी तहसील समदड़ी

पैमाना 1 फीट इन्च = 80 गट्ठा

प्रस्तावित टरमीन "D" पार्किंग

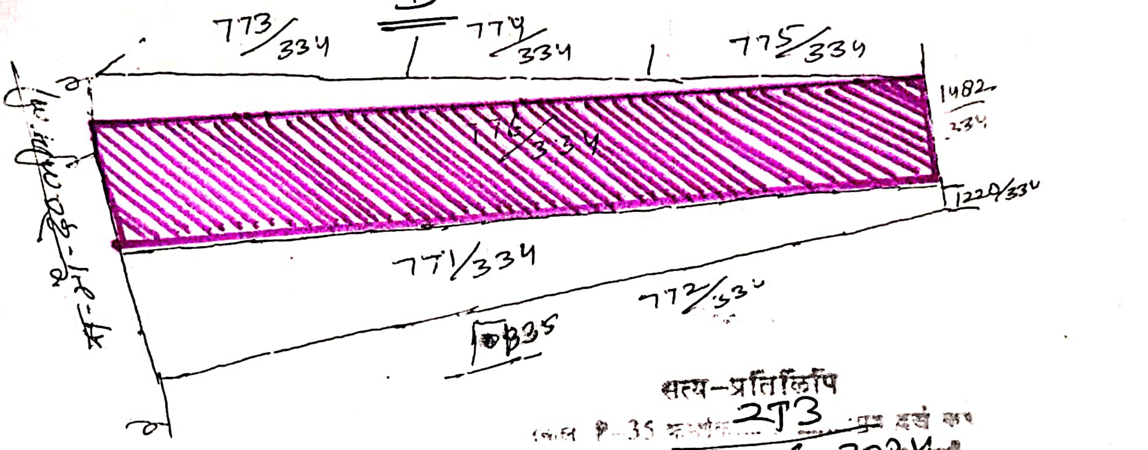

सत्य-प्रतिलिपि

273

21-6-2024

पटवारी (भू.अ.)

प्रस्तावित खसरा नंबर 776/334

18/7/24

(मगाराम चौधरी)

18/07/24

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:36:48 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)